न्यायालय सहायक कलक्टर एवं उपखण्डाधिकारी, नोहर जिला हनुमानगढ

पीठासीन अधिकारी का नाम : राहुल श्रीवास्तव (आई0ए0एस0)

प्रकरण संख्या – 182/2022

अनवान : –

1. हंसराज पुत्र चौनाराम जाति जाट साकिन कर्मशाना तहसील नोहर।

– सायल

बनाम

1. बनवारीलाल पुत्र चौनाराम जाति जाट साकिन कर्मशाना तहसील नोहर।
2. आदराम पुत्र देवीलाल जाति जाट साकिन कर्मशाना तहसील नोहर
3. कलावती पुत्री देवीलाल जाति जाट साकिन कर्मशाना तहसील नोहर
4. केशर पत्नी देवीलाल जाति जाट साकिन कर्मशाना तहसील नोहर
5. बेगराज पुत्र देवीलाल जाति जाट साकिन कर्मशाना तहसील नोहर
6. रामा पुत्री देवीलाल जाति जाट साकिन कर्मशाना तहसील नोहर
7. स्टेट बैंक ऑफ इण्डिया शाखा गोरखाना तहसील नोहर जिला हनुमानगढ़
8. राजस्थान मरूधरा ग्रामीण बैंक शाखा बिरकाली तहसील नोहर
9. पंजाब नेशनल बैंक शाखा मन्दरपुरा तहसील नोहर जिला हनुमानगढ़
10. राजस्थान राज्य जरिये तहसीलदार राजस्व नोहर तहसील नोहर।

– गैरसायल

प्रार्थना पत्र अस्थाई निषेधाज्ञा
अन्तर्गत धारा 212 आर.टी.एक्ट.

उपस्थिति :– श्री हवासिंह पुनिया अधिवक्ता **सायल**
श्री विजयसिंह कड़वासरा अधिवक्ता **गैरसायल**

निर्णय दिनांक: 25/09/25

संक्षेप में तथ्य इस प्रकार से है कि प्रार्थी ने जरिये अधिवक्ता यह प्रार्थना पत्र अस्थाई निषेधाज्ञा अन्तर्गत धारा 212 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955 के तहत इस आशय का पेश किया है कि रोही मौजा कर्मशाना तहसील नोहर जमाबन्दी सम्वत 2075 ता 2078 के खाता संख्या 40/34 के ख.न. 134 की 6.4620, 153 की 8.0180. 180 की 4.0470, 190 की 1.0750 कुल 19.6020 हैक्टेयर भूमि में सायल [illegible]3 हिस्सा न. 1 का 1/3 हिस्सा गैरसायलन. 2 का 1/15 हिस्सा, [illegible] हिस्सा गैरसायलन. 4 का 1/15

Signature Not Verified
Digitally signed by Rahul Srivastava
Date: 2025.10.15 17:55:56 IST
Reason: SelfAttested

उपखण्ड अधिकारी
नोहर

हिस्सा गैरसायलन. 5 का 1/15 हिस्सा गैरसायलन. 6 का 1/15 हिस्सा के खातेदार काश्तकार हैं।

विवादित भुमि का खाता एवं लगान मुस्तरका होने के कारण लगान कास्त एवं सिंच का झगड़ा रहता है इसलिए सायल अपने हक व हिस्सा की भुमि का मुताबिक भुमि किस्म अनुसार अच्छी में से अच्छी व घटिया में से घटिया के अनुसार खाता व लगान तकसीम करवा कर अलग से खाता कायम करवाने का अधिकारी है गैरसायलन. 1 के मन में बेईमानी आ गई है और वह बिना खाता विभाजन करवाये विवादित भूमि में फसलो में सिंचाई के लिए खारे पानी का उपयोग करता है जिससे भूमि की उपजाऊ शक्ति कमजोर होती है एवं जमीन खराब हो जाती है एवं नई पाईप लाईन डालकर दूसरे ख.न. की भूमि में फसलो में खारे पानी से सिंचाई करने की सरेआम धमकी देता है यदि गैरसायलन. 1 अपने उक्त मकसद में कामयाब हो जाता है तो सायल को भारी नुकसान होता है जिसकी पूर्ति बाद में किसी भी प्रकार से सम्भव नहीं है इसलिए सायल गैरसायलन. के खिलाफ स्थायी निषेधाज्ञा जारी की जावे की उक्त वाद भूमि का बिना खाता विभाजन करवाये खारे पानी का उपयोग न करे एवं सिंचाई के लिए बिना किसी अदालत की स्वकृति के नई पाईप लाईन नही डाले।

प्रार्थना पत्र पेश होने पर दर्ज रजिस्टर किया जाकर गैरसायलगण को जरिये सम्मन तलब किया गया। गैरसायल स0 1 की तरफ से अधिवक्ता श्री विजयसिंह कड़वासरा उपस्थित। शेष गैरसायलगण को सम्यक नोटिस तामिल होने के उपरान्त भी न्यायालय में उपस्थित नही अतः इनके विरूद्ध एकपक्षीय कार्यवाही अमल में लाई गई। सायल व गैरसायलान ने निवेदन किया की मैरिट के आधार पर वाद का निस्तारण किया जावे।

पत्रावली में प्रस्तुत दस्तावेजों के गहन अध्ययन करने के उपरान्त इस नतीजे पर पहुचे है कि वादग्रस्त भूमि बाबत खाता विभाजन मूल दावें के निर्णय में तय होना है। राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955 की धारा 212 के प्रार्थना पत्र के निस्तारण के दौरान केवल यह देखना है कि प्रथम दृष्टया मामला, सुविधा का सन्तुलन किसके पक्ष मे है तथा अपूर्णीय क्षति किसको होती है? पत्रावली में प्रस्तुत राजस्व रिकार्ड के अनुसार रोही मौजा कर्मशाना तहसील नोहर जमाबन्दी सम्वत 2075 ता 2078 के खाता संख्या 40/34 की कुल 19.6020 हैक्ट भूमि सायल व गैरसायलान के नाम मुश्तरका खाता में दर्ज राजस्व रिकार्ड है। मुश्तरका खातेदार काश्तकार अपने हक हिस्सा व किस्म भूमि के अनुसार खाता व लगान राजस्व रिकार्ड में अलग से कायम करवाने का अधिकारी है जो वाद में साक्ष्य सबूतों के आधार पर तय होना है अप्रार्थीगण द्वारा केवल राजस्व रिकार्ड में दर्ज अपने हक व हिस्सा की भूमि को रहन, बैय व मुन्तकिल किया जा रहा है। वाद भूमि संयुक्त ख[illegible] है अप्रार्थी सिर्फ अपने हक व हिस्सा की भूमि को रहन व बैय कर रहे है [illegible] ए0न0 को रहन व बैय कर रहे

Signature Not Verified
Digitally signed by Rahul Srivastava
Date: 2025.10.15 17:55:56 IST
Reason: SelfAttested

Rahul.
उपखण्ड अधिकारी
नोहर

है चूंकि प्रार्थी एवं अप्रार्थी संयुक्त खातेदार दर्ज राजस्व रिकार्ड है, अप्रार्थी द्वारा अपने हिस्से को रहन व बैय करने से प्रार्थी को कोई अपूर्णीय क्षति नही होगी क्योंकि अप्रार्थी द्वारा केवल राजस्व रिकार्ड में दर्ज अपने हक व हिस्से को ही रहन, बैय किया जा रहा है न कि प्रार्थी के हिस्से को अतः अप्रार्थी को अस्थाई निषेधाज्ञा से पाबन्द किया जाना न्यायोचित नही है। प्रार्थी का कथन है कि अप्रार्थी द्वारा अपनी फसल के लिए खारे पानी का उपयोग किया जा रहा है एवं बिना किसी अदालत की स्वीकृति के नई पाईप लाईन डाली जा रही है लेकिन प्रार्थी ने अपने कथनों के समर्थन ऐसा कोई दस्तावेज पेश नही किया गया है जिससे यह साबित हो की अप्रार्थीगण द्वारा पाईप लाईन डाली जा रही है एवं खारे पानी का उपयोग किया जा रहा है। उक्त विवेचनानुसार प्रथम दृष्टया मामला अप्रार्थी के पक्ष में साबित होता है न की प्रार्थी के पक्ष में। जब प्रथम दृष्टया मामला अप्रार्थी के पक्ष में सिद्ध हो गया है तो सुविधा का संतुलन भी अप्रार्थी के पक्ष में सिद्ध होता है। अगर अस्थाई निषेधाज्ञा ताफैसला कन्फर्म की जाती है तो अपूर्णीय क्षति भी अप्रार्थीग को होगी न की प्रार्थी कों। प्रथम दृष्टया मामला, सुविधा का संतुलन व अपूर्णीय क्षति इन तीनों ही तत्वों में से कोई भी तत्व प्रार्थी के पक्ष में साबित नही होते है बल्कि अप्रार्थी के पक्ष में बखूबी साबित है। इसलिए अप्रार्थी को अस्थाई निषेधाज्ञा से पाबंद किया जाना किसी भी तरह से न्यायोचित प्रतीत नही होता है तथा प्राकृतिक न्याय एवं साम्य न्याय के सिद्धान्तों के विपरित है।

अतः उपरोक्त विवेचन स्वरूप प्रार्थी प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 212 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम अस्थाई निषेधाज्ञा साबित नही होने से दिनांक 02.08.2022 को जारी की गई अस्थायी निषेधाज्ञा खारिज की जाती है। पत्रावली नम्बर से कम की जाकर बाद तरतीब तकमील जाब्ता दाखिल दफ्तर हों।

निर्णय आज दिनांक 25/09/25 मेरे द्वारा लिखाया जाकर खुले न्यायालय में सुनाया गया।

Rahul.

(राहुल श्रीवास्तव I.A.S)
उपखण्ड अधिकारी (राजस्व)
एवं सहायक कलक्टर
नोहर

Signature Not Verified

Digitally signed by Rahul Srivastava
Date: 2025.10.15 17:55:56 IST
Reason: SelfAttested